(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

eF. No. 6/2/2026-BO-I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

New Delhi, the 3rd November 2026
Kartika 12, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Dr. Shiv Dayal (DoB: 07.11.1966) as Part-time Non-Official Director on the Board of Directors of Union Bank of India, for a period of three years from the date of issuance of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

(Sanjay Kumar Mishra)
Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

ई फा. सं. 6/2/2026-बीओ-I
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 03 नवंबर 2026
कार्तिक 12, 1948 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डॉ. शिव दयाल (जन्म तिथि: 07.11.1996) को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नामित करती है।

संजय

(संजय कुमार मिश्र)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड
नई दिल्ली